"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 4] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 23 जनवरी 2009— माघ 3, शक 1930

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं आदित्य माथुर आत्मज स्व. ओ. बी. माथुर, उम्र 43 वर्ष, निवासी मकान नं. 9-ए, सड़क नं. 42, सेक्टर 10, भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. मैं अपनी पुत्री कु. अंजलि माथुर, जन्मतिथि 27-10-95 है के नाम को परिवर्तित कर कु. अर्कजा माथुर रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपत्र-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मेरी पुत्री को अर्कजा माथुर आत्मजा श्री आदित्य माथुर के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
कु. अंजलि माथुर	कु. अर्कजा माथुर
आत्मजा श्री आदित्य माथुर	आत्मजा श्री आदित्य माथुर
निवासी-मकान नं. 9-ए, सड़क नं. 42	निवासी-मकान नं. 9-ए, सड़क नं. 42
सेक्टर 10, भिलाई नगर	सेक्टर 10, भिलाई नगर
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)	तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं भोलाराम वर्मा आत्मज श्री श्रीराम वर्मा, उम्र 23 वर्ष, निवासी क्वाटर नं. 16-डी, सड़क नं. 32, सेक्टर 10, भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर जयेश वर्मा रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपत्र-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे जयेश वर्मा आत्मज श्री श्रीराम वर्मा के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
भोलाराम वर्मा आत्मज श्री श्रीराम वर्मा निवासी-क्वाटर नं. 16-डी, सड़क नं. 32 सेक्टर 10, भिलाई नगर तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)	जयेश वर्मा आत्मज श्री श्रीराम वर्मा निवासी-क्वाटर नं. 16-डी, सड़क नं. 32 सेक्टर 10, भिलाई नगर तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं लक्ष्मीकान्त काछी आत्मज श्री रामप्रसाद काछी , उम्र 38 वर्ष, निवासी सा.-कोरजा, तहसील पेण्ड्रारोड, जिला बिलासपुर (छ. ग.) का हूं. मैं अपने उपनाम काछी को परिवर्तित कर लक्ष्मीकान्त वर्मा रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपत्र-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे लक्ष्मीकान्त वर्मा आत्मज श्री रामप्रसाद के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
लक्ष्मीकान्त काछी आत्मज श्री रामप्रसाद काछी निवासी-सा.-कोरजा तहसील-पेण्ड्रारोड थाना-गौरेला जिला-बिलासपुर (छ. ग.)	लक्ष्मीकान्त वर्मा आत्मज श्री रामप्रसाद निवासी-सा.-कोरजा तहसील-पेण्ड्रारोड थाना-गौरेला जिला-बिलासपुर (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 नवम्बर 2008

क्रमांक / 530/अ. वि. अ./वाचक/ट्रस्ट/04.— चूंकि श्री रजत भाई आत्मज श्री अशोक तनेजा, निवासी वी. आई. पी. रोड लवकुश वाटिका, रायपुर ने एक्ट 1951 की धारा 4 के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पजीयन करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है.

2. यदि किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरुचि हो और इस ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना के निकालने की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन स्वत: या अपने अधिवक्ता अथवा एजेन्ट के माध्यम से उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

उक्त आवेदन पत्र की सुनवाई दिनांक 16-1-2009 को होगी.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम एवं पता तथा संपत्ति का विवरण)

1.	लोक न्यास का नाम और पता	:	संत श्री आसाराम जी गुरूकुल ट्रस्ट, रायपुर, वी. आई. पी. रोड लवकुश वाटिका, रायपुर.
2.	चल संपत्ति	:	यूनियन बैंक आफ इंडिया शंकरनगर रायपुर, खाता क्र. 540902010003361 में राशि 1,37,000/- रुपये मात्र (एक लाख सैंतीस हजार रुपये मात्र)
3.	अचल संपत्ति	:	निरंक

टी. पी. सिन्हा,
पंजीयक.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी समितियां, जांजगीर-चांपा (छ. ग.)

जांजगीर, दिनांक 27 दिसम्बर 2008

(छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत)

क्रमांक/उपंजा/परि./08/925.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक /परि./120, दिनांक 7-2-08 के द्वारा सब्जी फल फूल उत्पादक विपणन एवं प्रक्रिया सहकारी समिति मर्यादित, खोरसी, जिला जांजगीर जिसका पंजीयन क्रमांक 271 दिनांक 9-8-01 है को छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री एन. एल. साहू, पद स. वि. अ.,पामगढ़ को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, बी. के. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जांजगीर, छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं छ. ग./म. प्र. शासन सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक /1/5/6/19 / एफ-15 दिनांक 27-8-79 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक के अधिकारों को जो मुझेमें वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था के निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 27-12-08 को मेरे हस्ताक्षर एव पदमुद्रा से जारी किया गया.

जांजगीर, दिनांक 27 दिसम्बर 2008

(छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत)

क्रमांक/उपंजा/परि./08/926.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक /परि./109, दिनांक 7-02-08 के द्वारा कृषक सिंचाई प्रबंधन सहकारी समिति मर्यादित, किरारी, जिला जांजगीर जिसका पंजीयन क्रमांक 241 दिनांक 17-3-99 है को छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री आर. के. कौशिक, पद स. वि. अ., अकलतरा को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, बी. के. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जांजगीर, छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं छ. ग./म. प्र. शासन सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक /1/5/6/19/एफ-15 दिनांक 27-8-79 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक के अधिकारों को जो मुझेमें वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था के निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 27-12-08 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

जांजगीर, दिनांक 27 दिसम्बर 2008

(छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत)

क्रमांक/उपंजा/परि./08/927.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक /परि./121, दिनांक 7-02-08 के द्वारा किसान गंगा स्वायत्त सहकारी समिति मर्या., अकलतरा जिला जांजगीर जिसका पंजीयन क्रमांक 02 दिनांक 31-3-05 है को छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री आर. के. कौशिक, पद स. वि. अ., अकलतरा को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, बी. के. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जांजगीर, छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं छ. ग./म. प्र. शासन सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक /1/5/6/19/एफ-15 दिनांक 27-8-79 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक के अधिकारों को जो मुझेमें वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था के निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 27-12-08 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

जांजगीर, दिनांक 27 दिसम्बर 2008

(छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत)

क्रमांक/उपंजा/परि./08/928.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक /परि./108, दिनांक 7-02-08 के द्वारा कृषक सिंचाई प्रबंधन सहकारी समिति मर्या., मुरलीडीह जिला जांजगीर जिसका पंजीयन क्रमांक 242 दिनांक 26-3-99 है को छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री आर. के. कौशिक, पद स. वि. अ., अकलतरा को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, बी. के. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जांजगीर, छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं छ. ग./म. प्र. शासन सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक /1/5/6/19/एफ-15 दिनांक 27-8-79 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक के अधिकारों को जो मुझेमें वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था के निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 27-12-08 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

जांजगीर, दिनांक 27 दिसम्बर 2008

(छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत)

क्रमांक/उपंजा/परि./08/929.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक /परि./353, दिनांक 23-4-91 के द्वारा शहीद राजकिरण दुगल मत्स्य सहकारी समिति मर्या., चांपा जिला जांजगीर जिसका पंजीयन क्रमांक 98 दिनांक 3-1-86 है को छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री बी. के. तिवारी, पद व. स. नि., जांजगीर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, बी. के. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जांजगीर, छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं छ. ग./म. प्र. शासन सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक /1/5/6/19/एफ-15 दिनांक 27-8-79 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक के अधिकारों को जो मुझेमें वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था के निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 27-12-08 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

जांजगीर, दिनांक 27 दिसम्बर 2008

(छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत)

क्रमांक/उपंजा/परि./08/930.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक /परि./1750, दिनांक 9-8-74 के द्वारा लक्ष्मी चावल दाल उद्योग सहकारी समिति मर्या., बम्हनीबाजार जिला जांजगीर जिसका पंजीयन क्रमांक 2664 दिनांक 4-6-62 है को छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री बी. के. तिवारी, पद व. स. नि., जांजगीर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, बी. के. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जांजगीर, छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं छ. ग./म. प्र. शासन सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक /1/5/6/19/एफ-15 दिनांक 27-8-79 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक के अधिकारों को जो मुझेमें वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था के निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 27-12-08 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

जांजगीर, दिनांक 27 दिसम्बर 2008

(छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत)

क्रमांक/उपंजा/परी./08/931.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./119, दिनांक 7-2-08 के द्वारा कबीर फल फूल सब्जी उत्पादक एवं विपणन सहकारी समिति मर्या., चांपा जिला जांजगीर जिसका पंजीयन क्रमांक 194 दिनांक 15-10-96 है को छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री बी. के. तिवारी, पद व. स. नि., जांजगीर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, बी. के. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जांजगीर, छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं छ. ग./म. प्र. शासन सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/1/5/6/19/एफ-15 दिनांक 27-8-79 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक के अधिकारों को जो मुझेमें वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था के निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 27-12-08 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

बी. के. ठाकुर,
उप पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2009.